दिनांक 21.03.2023 को श्री मुकेश कुमार लाल, विशेष सचिव, वित्त विभाग, बिहार के अध्यक्षता में GPA Payment Mode के नवीनतम तकनीको के बारे में आवश्यक जानकारी हेतु सभी प्रशासी विभागो एवं GeM के पदाधिकारियों के साथ VC के माध्यम से संपन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही ।

1. कार्यवाही :-

SGPA में आ रही तकनीकी समस्याओं को इंगित करते हुये GPA Payment Mode के विशेषताओं के संबंध में विशेष सचिव द्वारा जानकारी दी गई । विशेष सचिव द्वारा बताया गया कि SGPA अंतर्गत कतिपय विभागो द्वारा GeM Portal पर सामग्रियों की अधिप्राप्ति के क्रम में order तो create किया गया, परंतु order को Final नहीं किया गया । इस क्रम में संबंधित राशि भी SGPA में अंतरित हुई, जिसे विभाग द्वारा वापस लेने का प्रयास नहीं किया गया । इसके अतिरिक्त GST एवं TDS से संबंधित राशि भी विभाग द्वारा वापस नहीं लिया गया एवं यह राशि कई वर्षों तक SGPA में अव्यवहृत रही । अधिप्राप्ति की प्रक्रिया में refund एवं unused amount तथा Tax Compliance की जिम्मेवारी संबंधित विभाग/कार्यालय की है । इस संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक-1965 दिनांक 24.02.2023 द्वारा SGPA में अव्यवहृत राशि की वापसी कर संगत लेखा शीर्ष में जमा सुनिश्चित कराने का भी सभी विभागो से अनुरोध किया गया है ।

2. GeM Portal के माध्यम से SGPA के अंतर्गत सामग्रियों की अधिप्राप्ति तो हो रही थी पर सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु Bid Create नहीं हो पा रहा था । बिहार के लिये विशेषीकृत SGPA व्यवस्था को बनाये रखने में GeM को भी परेशानी हो रही थी, जिस कारण नवंबर, 2022 से उक्त SGPA की विशेषीकृत व्यवस्था को समाप्त करते हुए GPA Payment Mode को अपनाने का अनुरोध किया गया । इस संबंध में 4-5 विभागों में Pilot Testing के उपरांत दिनांक-01.04.2023 के प्रभाव से GeM Pool Account (GPA) Payment Mode के माध्यम से GeM Portal से अधिप्राप्ति का निर्णय लिया गया है । इस संबंध में वित्त विभागीय आदेश सं०-2824 दिनांक-17.03.2023 भी निर्गत है ।

3. SGPA के अंतर्गत जहाँ Centralised Budgeting की व्यवस्था थी एवं मात्र एक ICICI बैंक संबद्ध था । वहीं GPA Payment Mode अंतर्गत Decentralised व्यवस्था निरूपित है, जिसके अंतर्गत हर विभाग का अपना खाता होगा । उक्त खाता को वित्त विभाग द्वारा निर्धारित कुल छः बैंको यथा, SBI, PNB, HDFC, ICICI, AXIS,YES बैंकों में से अलग-अलग किन्हीं तीन बैंको से अपनी सुविधा एवं आवश्यकता के अनुसार Link किया जा सकता है । GPA Payment Mode अंतर्गत तीन बैंको की सुविधा होने से अगर किसी कारणवश एक बैंक से Transaction नहीं हो पा रहा हो तो अन्य चयनित बैंक से Transaction किया जा सकता है । साथ ही किसी बैंक की सेवा संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में उसके स्थान पर उक्त छः बैंको में से अन्य बैंक का चयन भी प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है ।

4. GPA Payment Mode के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु दो विकल्प यथा, चालान मॉडल एवं नन-चालान मॉडल उपलब्ध है । चालान मॉडल में वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय की उतनी ही राशि चालान के माध्यम से एवं ए०सी० बिल के द्वारा GeM Pool Account में स्थानांतरित हो सकेगी, जितने राशि की अधिप्राप्ति की जानी हो । नन-चालान मॉडल की व्यवस्था एक प्रकार का wallet account है जिसमें

संबंधित विभाग अथवा कार्यालय समय-समय पर अपने Corpus में से एकमुश्त राशि स्थानांतरित कर सकते है एवं wallet account में उपलब्ध राशि के सापेक्ष वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रयादेश निर्गत कर सकते है । इस क्रम में सामग्री की प्राप्ति होने के उपरांत wallet account में उपलब्ध राशि से Vendor को भुगतान किया जा सकता है ।

5. GPA Payment Mode के अंतर्गत सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए कुल राशि का दो गुणा राशि Block किये जाने की व्यवस्था निरूपित है । Billing Cycle वार्षिक होने की स्थिति में पूरे वर्ष में अधिप्राप्ति की जानेवाली राशि की दुगनी राशि को GPA Payment Mode अंतर्गत Block कराना होगा । इससे एक बड़ी राशि कोषागार से बाहर GPA Payment Mode में अव्यवहृत पड़ी रहेगी । इसी आलोक में विशेष सचिव द्वारा Billing Cycle को छोटा रखे जाने (मासिक रूप से) का भी परामर्श दिया गया ताकि आवश्यकतानुसार ही राशि GPA Payment Mode अंतर्गत Block रहे । GPA Payment Mode में Migration के क्रम में निम्नलिखित बिंदूओं का भी अनुपालन किये जाने का परामर्श विशेष सचिव द्वारा दिया गया :-

(i) संबंधित विभागों के GeM Pool Account (GPA) Payment Mode में Migration के क्रम में CFMS में पूर्व से दर्ज Payee Id का ही प्रयोग किया जाना है । इस हेतु संबंधित विभागों द्वारा CFMS में दर्ज Payee Id को वित्त विभाग से प्राप्त कर लिया जाय ।

(ii) GeM Pool Account (GPA) Payment Mode के आधार पर GeM Portal से सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के संबंध में विभागों द्वारा किये जाने वाले Transaction की सम्पूर्ण जानकारी हेतु बैंको के स्तर पर विकसित Template को संबंधित बैंक (MoU हेतु चयनित बैंक) से प्राप्त कर लिया जाय ।

(iii) संबंधित बैंको द्वारा उपलब्ध कराये गये Dashboard के माध्यम से प्रशासी विभागों द्वारा किये जाने वाले Transaction (यथा, Order Generation, अधिप्राप्ति, भुगतान की गई राशि एवं अंतिम अवशेष राशि इत्यादि) की सम्पूर्ण एवं अद्यतन जानकारी कभी भी प्राप्त की जा सकती है । GeM Pool Account (GPA) Payment Mode के अंतर्गत अधिप्राप्ति की प्रक्रिया में refund एवं unused amount तथा Tax Compliance की जिम्मेवारी संबंधित प्रशासी विभाग विभाग/कार्यालय की है, जो उक्त Dashboard के माध्यम से GPA Payment Mode में किये गये Transaction के Monitoring के साथ अव्यहृत अवशेष राशि का मूल Source में वापसी सुनिश्चित करेंगे।

6. श्री अमरदीप गुप्ता, निदेशक एवं नोडल पदाधिकारी (बिहार), GeM, नई दिल्ली द्वारा बताया गया कि बिहार के लिए विशेषीकृत SGPA व्यवस्था में सेवाओं से संबंधित अधिप्राप्ति नहीं होने एवं अन्य तकनीकी त्रुटियों के कारण इसे नवंबर, 2022 से समाप्त कर दिया गया है । SGPA अंतर्गत Bid के Cancel होने की स्थिति में संबंधित राशि के वापसी हेतु GeM एवं बैंक से संपर्क करना पड़ता था, जबकि GeM Pool Account (GPA) Payment Mode अंतर्गत राशि की वापसी हेतु Online अनुरोध की व्यवस्था निरूपित है । GPA Migration के क्रम में संबंधित विभाग/कार्यालय संबंधित बैंको को Refund Account की Detail भी उपलब्ध करायेंगे, जिसमें Online अनुरोध कर अव्यवृत राशि को वापस प्राप्त किया जा सकता है एवं इस राशि का Further Bid में भी उपयोग किया जा सकता है ।

GeM Portal एक HoD के अंतर्गत तीन बैंक खातो की Maping की सुविधा उपलब्ध कराता है । अगर एक बैंक के साथ Bid की प्रक्रिया में कोई Problem होता है तो

अन्य चयनित बैंक के माध्यम से Transaction की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। GeM Pool Account (GPA) Payment Mode अंतर्गत सामग्रियो की अधिप्राप्ति में पूरी राशि के Block किये जाने की व्यवस्था निरूपित है, जबकि सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए कुल राशि का दो गुणा राशि Block किये जाने की व्यवस्था की गई है । विभागो के द्वारा Billing Cycle को दैनिक/सप्ताहिक/मासिक रखा जा सकता है ।

7. वित्त विभाग में GeM के प्रतिनियुक्त प्रतिनिधि श्री विनीत झा, क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से GeM Pool Account (GPA) Payment Mode की तकनीकी विशेषताओं के संबंध में जानकारी दी गई ।

8. अन्त में बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुआ ।

17/4/23

(राजेन्द्र कुमार चन्द्रवंशी)
उपायुक्त (वि0प्र0) ।

ज्ञापांकः- एम-4-07/2018 (खंड-I)....3480..../विह, पटना, दिनांक 17/04/2023

प्रतिलिपिः-सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

17/4/23
उपायुक्त (वि0प्र0) ।

ज्ञापांकः- एम-4-07/2018 (खंड-I)....3480..../विह, पटना, दिनांक 17/04/2023

प्रतिलिपिः-श्री अमरदीप गुप्ता, निदेशक एवं नोडल पदाधिकारी, GeM, जीवन तारा बिल्डिंग, 5-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001**/मो० इम्तियाज अंसारी/श्री विनीत झा, क्षेत्रीय प्रबंधक,** GeM, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

17/4/23
उपायुक्त (वि0प्र0) ।

ज्ञापांकः- एम-4-01/2016(खंड-I)....3480..../विह, पटना, दिनांक 17/04/2023

प्रतिलिपिः-माननीय वित्त मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

17/4/23
उपायुक्त (वि0प्र0) ।

ज्ञापांकः- एम-4-01/2016(खंड-I)....3480..../विह, पटना, दिनांक 17/04/2023

प्रतिलिपिः-अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव(संसाधन) के आशुलिपिक/श्री मुकेश कुमार लाल, विशेष सचिव के आप्त सचिव/ मो० जमील, उपायुक्त (वि०प्र०), नोडल पदाधिकारी, GeM, वित्त विभाग, बिहार, पटना **वित्त विभाग, बिहार, पटना** को सूचनार्थ प्रेषित।

17/4/23
उपायुक्त (वि0प्र0) ।